ISSUE:16 Oct - Dec 2018

Newsletter

# पुनर्नवा

bouncing back to life again and again..

## बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना-1

Visit us:www.bsdma.org, Email:info@bsdma.org


बिहार सरकार

# हमारी गतिविधियाँ, कुछ झलकियाँ

Mentor: Sri Vyas Ji, IAS (Retd.), Vice-Chairman BSDMA, Sri. U.K. Misra, Member BSDMA,
Sri P.N. Rai, Member BSDMA, Editor in Chief: Sri S.B. Tiwari (OSD to VC),
Sr. Editor: Monisha Dubey
Writer us on : E-Mail:info@bsdma.org
Website & Social Media: www.bsdma.org, www.facebook.com/bsdma

# विषय सूची

" Urban Climate Resilience: The Context of River Basins: Urban-Peri Urban Ecosystem, Inclusive Governance and Partnership

पेज-02-03

आपदा रेस्पांस में बहुत कारगर है प्रशिक्षित श्वान

पेज-04-05

भारत में सर्प दंश प्रबंधन: एक चुनौती

पेज-06-18

हरिहर क्षेत्र-सोनपुर मेला-2018 में जनजागरूकता

पेज-19-20

प्राधिकरण की गतिविधियाँ: एक नजर में

पेज-25-26

Incident Response System(IRS): Basic and intermediate course पर पाँच दिवसीय का प्रशिक्षण कार्यक्रम (दिनांक 08.10.2018 से 12.10.2018 को बिपार्ड वाल्मी)

पेज-27

किसानों की आय वृद्धि में आपदा प्रबंधन का योगदान:........21-24

बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम........28-31

आपदारोधी भवन निर्माण पर राज्य के बैकों के साथ भारतीय रिर्जव बैंक में बैठक का आयोजन....32

ठंड से बचने के उपाय:........38

# "Urban Climate Resilience: The Context of River Basins: Urban- Peri Urban Ecosystem, Inclusive Governance and Partnerships"

होटल मौर्या, पटना में "Urban Climate Resilience : The Context of River Basins : Urban- Peri Urban Ecosystem, Inclusive Governance and Partnerships" विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण, बिहार सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM), भारत सरकार एवं गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया।

दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के पहले दिन उदघाटन में माननीय श्री सुशील मोदी, उप मुख्यमंत्री, बिहार ने किया। उन्होंने कहा कि भारत में शहरी जनसंख्या अभूत पूर्व ढंग से बढ़ रही है और ऐसी आशा है कि आने वाले दो दशकों में देश में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या लगभग आधी–आधी हो जायेगी। यह जनसंख्या विशेषता द्वितीयक शहरों में अधिक तेजी से बढ़ रही है जो जनसंख्या घनत्व की अधिकता, मूलभूत सेवाओं की कमी, आधार भूत संरचना के कमजोर होने आदि के कारण नई चुनौतियों का सामना करने को बाध्य होते हैं। ऐसे में बढ़ती आपदा व जलवायु परिवर्तन के प्रभाव समस्याओं को और भी संवेदनशील बना देते हैं। यदि पूर्वी भारत के गंगा–ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में अवस्थित नगरों को देखा जाये तो यह काफी हद तक बाढ़ व जलजमाव की समस्याओं से प्रभावित होते रहे हैं। इस क्षेत्र में अनिश्चित वर्शा प्रवृत्ति, न्यूनतम व अधिक तापमानों में बढ़ोत्तरी, बढ़ती आर्द्रता आदि जैसे जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों के कारण इनके जोखिम बढ़ते जाते हैं। बिहार सरकार इस विषय को वरीयता पर ले रही है और 2015 से लागू आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेन्डई फ्रेमवर्क, स्थाई विकास लक्ष्यों व पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते की मंशा के क्रम में आपदा न्यूनीकरण हेतु एक रोडमैप पर कार्य कर रही है।

2030 लक्षित इस रोड मैप के पांच स्तम्भों में से एक है सुरक्षित भाहर। इस रोड मैप में 2030 तक बिहार के सभी नगरों को सुरक्षित बनाने और इनकी क्षमता विकास हेतु स्पष्ट दिशा निहित हैं।

श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण, ने कहा कि नगरों में निरन्तर बढ़ती जनसंख्या को बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता कराना एक चुनौती है और ऐसे में जलवायु परिवर्तन व आपदाओं से ग्रसित वर्गो व क्षेत्रों में यह और भी चुनौती पूर्ण हो जाता है।

बिहार सरकार इन समस्याओं पर कारगर उपाय करने को प्रतिबद्ध है।

आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु बिहार सरकार के रोडमैप में नगरों की संवेदनशीलता पर गंभीरता पूर्वक कार्य करने की प्रतिबद्धता है। नगर विकास विभाग व आपदा प्रबन्धन विभागों में प्रत्येक स्तर पर सामंजस्य और मिलकर कार्य करने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि भाहरी आबादी आपदाओं के प्रबन्धन में भामन, रोकथाम आदि जैसे आयामों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाये और सरकार, नागरिक, निजी क्षेत्र, स्वैच्छिक संगठन सभी एक समग्रता के साथ नगरीय विकास व जोखिम न्यूनता के अभिश्ट लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। डा0 सीराज़ वजीह, अध्यक्ष, गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप ने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल भाहरी आबादी 31 प्रतिशत थी। देश की स्वतंत्रता के बाद भाहरी आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है और यह वृद्धि पिछले दो दशकों में अभूतपूर्व गति से हुई है। ऐसा अनुमान है कि वृद्धि की इस गति से कुछ ही दशकों में देश की आधी आबादी भाहरों में होगी। गंगा के मैदानी क्षेत्र में कृशि उत्पादकता अच्छी होने के कारण वैसे भी जनसंख्या घनत्व अत्याधिक रहा है और ऐसे में इस क्षेत्र में भाहरों का जनसंख्या घनत्व भी काफी अधिक है। पूर्वी भारत के गंगा–ब्रहमपुत्र नदी क्षेत्र में बड़े महानगर भले ही कम हों परन्तु छोटे–छोटे नगरों व कस्बों के कारण भाहरी जैसी आबादी काफी अधिक है। क्षेत्र में छोटी–बड़ी नदियां बहुतायत में हैं जिसके कारण बाढ़ का प्रभाव ज्यादा रहा है पर प्राचीन समय से ही भाहरों की बसाहट व्यापार में जल मार्गों की प्रमुखता के कारण नदियों के किनारे ही होती रही है और स्वाभाविक है कि यह भाहरी क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित भी होते आये हैं। परन्तु इन नगरों की स्वाभाविक बसाहट इस प्रकार की रही है जिस में प्राकृतिक क्षेत्र जैसे बाग–बगीचे, ताल–पोखरों, हरे क्षेत्र आदि काफी मात्रा में रहे हैं ओर यह प्राकृतिक क्षेत्र ही इन नगरों को बाढ़ से निपटने में जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। भाहरी जमीन की मांग के दबाव के कारण धीरे–धीरे यह प्राकृतिक क्षेत्र लुप्त होते या कम होते जा रहे हैं जो एक चिन्ता का विषय है। ऐसे में बाढ, अतिवर्शण आदि के बाद पानी के समाहित करने वाले क्षेत्र कम होते गये जिसकी परिणति बढ़ते जल–जमाव के रूप में दिखाई देती है। आय अर्जन की चाहत में भाहरों में काफी बड़ी जनसंख्या निर्धनों की होती है और यह नगरीय निर्धन वर्ग अपने घरों से ही छोटे–मोटे कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे कमजोर व निर्धन परिवार आमतौर पर भाहर के निचले क्षेत्रों मलिन बस्तियों, अविकसित क्षेत्रों में रहते हैं जहां बुनियादी सेवाओं की कमी होती है।जलवायु परिवर्तन प्रभावों व आपदाओं के कारण यह भाहरी निर्धन सर्वाधिक प्रभावित होते रहे हैं। अतिवर्शण, तापमान बढ़ने, तूफान आदि से इन परिवारों के घर और व्यवसाय दोनों ही प्रभावित होते हैं और इनके सामान्य स्थिति में आने में काफी समय लग जाता है।

इस कार्यशाला में प्रमुख रूप से देश के विभिन्न प्रदेशों से लगभग 100 लोगों ने प्रतिभाग किया जिसमें प्रमुख रूप से अनिल कुमार गुप्ता राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान नई दिल्ली, हरजीत सिंह, एक्शन एड नई दिल्ली, डा0 श्री निवास चौकुला जल संसाधन मंत्रालय, डा0 उदयकान्त मिश्रा, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण, बिहार सरकार, डा0 मुज्फर अहमद, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान नई दिल्ली, प्रो0 श्रीधरन निदेशक, स्कूल आफ प्लानिग एण्ड आरकीटेक, भोपाल, श्री टिकेन्टर पनवार, पूर्व उप मेयर शिमला आदि प्रमुख लोग उपस्थिति थे।

# आपदा रेस्पांस में बहुत कारगर है प्रशिक्षित श्वान

17 दिसम्बर 2018 को 9 बटालियन एन०डी०आर०एफ० में श्री संजय कुमार, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा नवनिर्मित श्वान आवास का उदघाटन किया गया। इस मौके पर श्री के० के० सिंह, उप महानिरीक्षक कमान्डेंट, श्री रवि कान्त, द्वितीय कमान अधिकारी के साथ-साथ 9 बटालियन एन०डी०आर०एफ० के अन्य अधिकारी तथा कर्मी मौजूद थे। (वर्क्स), बल मुख्यालय एन०डी०आर०एफ० नई दिल्ली तथा श्री विजय सिन्हा, 9 बटालियन एन०डी०आर०एफ० का गठन बिहार राज्य के बिहटा (पटना) में 15 नवम्बर 2010 को हुआ। वर्तमान में 9 बटालियन एन०डी०आर०एफ० के जिम्मेवारी का ईलाका बिहार तथा झारखण्ड दोनों राज्य है। इसका बटालियन हेड क्वार्ट साथ ही किसी आपदा के आने पर त्वरित रेस्पांस के लिए बिहार के सुपौल में एक रिजनल रेस्पांस सेन्टर है जहाँ पर एन०डी०आर०एफ० की एक टीम तैनात है। एक कम्पनी दीदारगंज (पटना) में तैनात है। झारखण्ड की राजधानी राँची में स्थित एक अन्य रिजनल रेस्पांस सेन्टर में एन०डी०आर०एफ० की एक कम्पनी को तैनात किया गया है। ध्वस्त ढाँचा खोज व बचाव ऑपरेशन (Collapsed Structure Search & Rescue Operation) में प्रशिक्षित श्वान मलवा या किसी अन्य संरचना में फँसे पीड़ित व्यक्ति को खोजने में काफी मददगार है। वर्तमान में 9 बटालियन एन०डी०आर०एफ० में कुल 16 प्रशिक्षित श्वान है। सामान्यतः 01 से 02 माह के नवजात शिशु श्वान (पप्स) का प्रशिक्षण एन०डी०आर०एफ० के अलग-अलग बटालियनों के हेडक्वार्टर कोलकाता (पश्चिम बंगाल प्रशिक्षित श्वानों में जरमन शेफर्ड, लेब्रा, डाबरमैन आदि नस्लें प्रमुख है।

# आपदा रेस्पांस में बहुत कारगर है प्रशिक्षित श्वान

लेख (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 9 BN, बिहटा)

प्रत्येक 'श्वान' (Dog) के साथ 'श्वान परिचालक' (Dog Handler) मौजूद होता है जो कि उसका खान-पान, रख-रखाव तथा दैनिक प्रशिक्षण का ख्याल रखता है। श्वान परिचालक को 12 सप्ताह की बेसिक प्रशिक्षण दिया जाता है। श्वान स्कार्ड के निगरानी अधिकारी को 12 सप्ताह का 'श्वान परिचालन प्रबंधन कोर्स' (Dog श्वान प्रशिक्षण केन्द्र (National Training Centre for Dogs), टेकनपुर (ग्वालियर) तथा अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में दिया जाता है।

इन प्रशिक्षित श्वानों को खाने में पेडिग्री, मीट/मांस, अंडा व दूध डॉक्टर के परामर्श के अनुसार एक निश्चित मात्रा में दिया जाता है। इसका वेटेनरी डॉक्टर से नियमित अन्तराल पर मेडिकल चेक-अप कराया जाता है। हर 03 माह पर डीवार्मिंग टैबलेट दिया जाता है। इसके अलावे, प्रत्येक साल रेबीज का टीका भी इन्हें दिया जाता है। शिशु श्वान को समयानुसा प्रशिक्षित श्वान का शारीरिक फिटनेस को बनाये रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन प्रशिक्षित श्वान का नियमित दिनचर्या होता है जिसका पूरा ख्याल उसके श्वान परिचालक द्वारा किया जाता है। श्वान परिचालक द्वारा किया जाता है। श्वान परिचालक द्वारा प्रतिदिन सुबह इन श्वानों की पी०टी० कराई जाती है। तत्पश्चात बिल्डिंग के मलवे में दबे पीड़ितों को खोजने का अभ्यास करवाया जाता है। इनकी दक्षता को और निखारने के लिए लगातार खोज व बचाव का अभ्यास कराया जाता है। इसके भूकम्प में ध्वस्त मकान के मलवे अथवा ट्रेन दुर्घटना के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त बोगी में फँसे जिन्दा पीड़ित को खोजने में प्रशिक्षित श्वान काफी मददगार है। अलावे शाम को नियमित रूप से इन श्वानों को अलग.अलग खेलों का अभ्यास करवाया जाता है। ये फँसे हुए व्यक्ति के गंध से पहचान लेता है तथा अपने श्वान परिबाद में घटनास्थल पर मौजूद बचावकर्मियों द्वारा मलवे में फँसे पीड़ित व्यक्ति को निकाल लिया जाता है।चालक को अलग-अलग संकेतों जैसे-डिग्गिंग करके या भोंककर, बताता है।

# भारत में सर्प दंश प्रबंधनः एक चुनौती

खेतों में फसलों को चूहों, पक्षियों और अन्य छोटे जानवरों से बचाने में साँप की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व में लगभग 3000 साँप है। हमारे देश मे लगभग 275 तरह के साँप पाये जाते हैं। भारत मे पाये जाने वाले साँपों में से केवल 15% साँप जहरीला है। वर्ष 2009 के सर्पदंस के घटनाओं को तुलना की जाय तो यह समझ मे आता है की जहां अमेरिका में पाये जाने वाले साँपों मे 65% साँप जहरीला है और वर्ष 2009 में केवल 9 लोगों की मृत्यु साँप के काटने से हुई। ऑस्ट्रेलिया में 85% साँप जहरीला होने के बावजूद किसी की भी जान नहीं गई, वहीं भारत में केवल 15% साँप विषैला है और हमारे देश में लगभग 45000 लोगों की जानें वर्ष 2009 में गई।

## सर्प-दंश प्रबंधन

## भारत में प्रतिवर्ष लगभग 45000 मृत्यु सर्प दंश से होती है

| देश | विषैले सर्प | विषहीन सर्प | सर्प-दंश से मृत्यु | वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| आस्ट्रेलिया | 85% | 15% | 0 | 2009 |
| अमेरिका | 65% | 35% | 09 | 2009 |
| भारत | 15% | 85% | 45000 | 2009 |

**भारत के सर्प दंश से मृत लगभग आधे से अधिक लोंगों की जान विषहीन साँप के काटने से होती है, अगर उन्हें सर्प-दंश प्रबंधन का ज्ञान होता तो मृत्युदर कम होता....**

### भारतीय विषहीन सर्प

हम सभी जानते हैं की सर्पदंश से अधिकतर प्रभावित मजदूर, किसान और गाँव के पुरुष/महिलाएं होती हैं। भारत में सर्पदंश की घटनाओं मे मृत्युदर अधिक होने का कारण सुदूर गावों में अस्पताल का न होना जितना महत्वपूर्ण है, उससे अधिक महत्वपूर्ण कारक समाज में फैले गलत अवधारणा और अंधविश्वास का होना है। भारत मे सर्पदंश से मृत व्यक्तियों मे से आधे लोग विषहीन साँप के काटने से मरते हैं। सर्पदंश प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूकता नहीं होने से विषहीन साँप के काटने के बाद घबराहट और भय से हृदयगति बंद होने के कारणलोगों की मृत्यु हो जाती है।

इस आलेख मे सर्पदंश प्रबंधन (साँपों को पहचानना, साँपों के विष के प्रकार की जानकारी, विषदंत निशान को पहचानने के तरीके, सर्पदंश के बाद क्या करें, क्या न करें इत्यादि) की संक्षिप्त जानकारी दी जा रही है, जो सामाजिक चेतना के लिए नितांत ही आवश्यक है।

# क्या साँप बीन के धुन पर नाचता है?

बचपन से हम साँपों के बारे मे किस्से-कहानियों, सपेरे और बॉलीवूड फिल्मों से ही पाये ज्ञान लिए बड़े होते हैं। जिस साँप को सपेरे दोमुहाँ साँप के नाम से पुकारते हैं, उसके पुंछ को भी मुंह कह कर दिखाया जाता है,वह गलत होता है, वस्तुतः किसी भी साँप का दो मुँह नहीं होता। कुछेक भ्रांतियाँ साँप के बारे मे समाज में हैं, उसे दूर करना आवश्यक है, यथा-साँप को मारने वाले का तस्वीर आंखों मे बस जाती है, दूसरा साँप बदला लेता है साँप दूध पीता है, साँप बीन के धुन पर नाचता है, जड़ी-बूटी से साँप के काटने का विष शरीर मे असर नहीं करता, इत्यादि। हिन्दी फिल्मों ने भी इसी गलत अवधारनाओं को ही फैलाया है। हकीकत तो यह है कि साँप के कान नहीं होते हैं, इसलिए वो बीन कि आवाज पर नहीं नाचता। वो खतरा समझ कर बीन से सतर्क रहता है व आक्रमण की मुद्रा मे रहता है। सर्प केवल हमारे चलने के कंपन (vibration) को महसूस करता है। न ही साँप दूध पिता है। साँप के देखने कि क्षमता भी बहुत कम (लगभग एक दो फीट) ही होती है

**नाग (Kobra)**

**करैत**

**वाइपर**

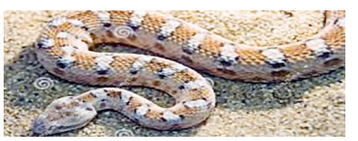

1. विषैलें सर्प में नाग और करैत बिहार में ज्यादा पाए जातें हैं उत्तरी बिहार में स्केल्ड वाइपर भी कहीं कहीं घर के खपडों में पाया जाता है।
2. सर्वाधिक सर्पदंश की घटना केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, उड़ीसा और आसाम राज्यों में होती है।
3. प्रायः सोए हुए व्यक्ति को बिछावन पर करैत द्वारा दंश की घटना होती है, जो भारत में सबसे अधिक जहरीला है

**रैसेल वाइपर**

**पिट वाइपर**

ऊपर के जहरीले साँपों मे अगर विष की प्राणघातक क्षमता की तुलना करें तो भारत मे पाये जाने वाले साँपों मे करैत सबसे अधिक जहरीला है। देखें चार्ट

# साँप के काटने का कारण एवं विभिन्न साँपों की प्राणघातक क्षमता

**Kinds of Bite**
**(काटने के कारण)**

Food bite (खाने के लिए काटना)
चूहा,चूजा, चिड़िया, इत्यादि
Defense or Warning bite
(खतरा की आशंका होने पर मनुष्य को काटना)

**Fatal dose of Venom**
**(एक सामान्य व्यक्ति को मारने की जहर की प्राणघातक क्षमता):**

Cobra: 12 mg (मिलीग्राम)
Krait: 6 mg
Russall's Viper: 15 mg
Shaw scaled viper: 8 mg

**भारत में करैत साँप सबसे अधिक जहरीला है।**

## साँपों के काटने का कारण:

**हमें यह भी ध्यान देने के जरूरत है की साँप डरपोक और छिप कर रहने वाला प्राणी है। मनुष्य की आहट पाकर साँप वहाँ से भाग जाने का प्रयास करते हैं। अगर उन्हें अपने ऊपर मनुष्य से खतरा होने की आशंका होती है, तभी सर्पदंश करते है। जबकि छोटे जानवरों को भोजन बनाने के लिए जहरीले सर्प उनके ऊपर दंश करते हैं, जिसे भोजन के लिए दंश (विवक इपजम) भी कहते हैं। विषहीन सर्प के मुंह मे ऊपर-नीचे के जबड़ों मे कई दाँत होते हैं, इसलिए वो चूहों, मुर्गी, कबूतर या चिड़ियाँ को मुँह मे दबा कर मार कर खा लेते हैं, जबकि विषैले सर्प को केवल दो दाँत होते है, इसलिए उन्हें शिकार को दंश कर मारने की विधि अपनाते है।**

## भारत मे जहरीले साँपों का परिचय:

भारत मे दो तरह का कोबरा (Cobra) /नाग पाया जाता है, मोनो-क्लेड (monoclad) ( फन पर एक चश्में के आकृति वाला कोबरा) और स्पेक्टेक्लेड (pecteclad) ( फन पर दोनों तरफ चश्में के आकृति वाला कोबरा) और स्पेक्टेक्लेड (specteclad) ( फन पर दोनो तरफ चश्में के आकृति वाला कोबरा )। भारतीय नाग साँप का समाज मे पुजा भी की जाती है, भारतीय नाग साँप का समाज मे पुजा भी की जाती है,

# भारत में जहरीले साँपो का परिचयः

## लक्षण

स्पैक्टेक्लैड कोबरा

- काटे गए जगह पर दर्द
- नींद आना
- साँस लेने में परेशानी
- धँसी हुई पलके (Drooping eyelids) Ptosis.
- नेक्रोसिस (शरीर से कोशिकाओं की प्रिमेचुअर मृत्यु)
- पक्षाघात
- मुँह पर झाग का आना
- निगलने में परेशानी

# Indian monoclad kobrap
# बंगाल कोबरा (Naja kaouthia)

1. सामान्य लंबाईः 1 m
2. पाये जाने का स्थान–North-East India, Uttar Pradesh, Bihar, Orissa and the Andamans.
   (बंगाल और असम में ज्यादा)
3. Habitat: पानी के इलाके में।
4. Food: मछली, छोटा साँप, मेढक।
5. Status: अच्छे चमड़े के लिए शिकार।

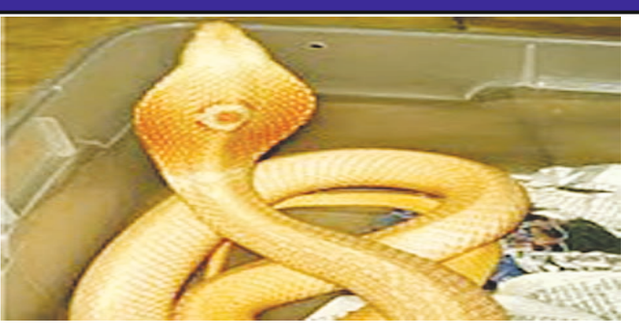

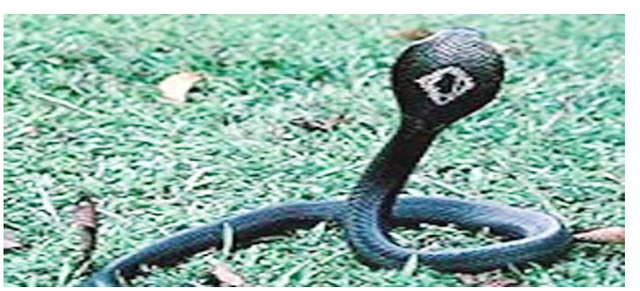

# Common krait (Bungarus caeruleus)

## कैरैतः (भारत का सबसे जहरीला सांप)

1. लंबाईः 3–5 फीट
2. पाये जाने का स्थानः उत्तर भारत, नेपाल, बंगाल
3. जहरः powerful neurotoxins
4. मांशपेशी पक्षाघात, हदयाघात से मृत्यु।
5. Survival अवधिः 4–6 घंटा।

दाँत बारीक पतला, कई बार साँप काटने पर दर्द एकदम कम या नगण्य, इसलिए व्यक्ति भुलावा में रहता।

करैत साँप के बारे में रोचक जानकारी यह है की यह साँप घरों के आस–पास भी रहता है, और रात में ढंढ़ से बचने के लिए मनुष्यों के बिछावन के नजदीक आ जाता है। रात में सोये–सोये सर्पदंश की ज्यादतर घटनाएँ इसी साँप के काटने की पायी जाती है। करैत की विष दंत **(fangs)** काफी पतली और छोटी होती है, जिसके कारण कई बार दांत के निशान इतने बारीक होता है कि इसे पहचानाना मुश्किल हो जाता है।

**लंबाईः 1–3 फीट**

**जहरः हेमोटोक्सिक**

**छिपने का स्थानः पत्थर, लकड़ी/ईट का ढेर, खपड़ा।**

**रात में शिकार करने के लिए बाहर निकलता।**

**Hissss के आवाज़ से अटैक से पहले आगाह करता हैं।**

**पूरे विश्व में जितने साँप काटने से मरते हैं, उनमें से आधे मृतक इसी साँप के काटने के घटना से होतें है।**

## Sidewinding चलने का तरीका

**(उत्तर बिहार के मधुबनी, चंपारण जिलों में पाया जाता है।)**

## रसैल्स वाइपर

### लक्षण

- काटे गए जगह पर जलन के साथ दर्द
- पीठ के निचले हिस्से एवं लोइन ;स्वपदद्ध पसली के कमर के हड्डी के बीच की जगह) में दर्द।
- हेमोरेज के कारण भारी मात्रा में बाहरी एवं भीतरी खून का निकलना।
  काटे गये स्थान पर तेजी से सूजन।
- कभी–कभी च्जवेपे (पलकों का बोक्षिल होना) नजर आता है।
- अत्यधिक नेकोसिस
- रेनल फेल्योर (किडनी का काम करना बंद कर देना)

## सा स्केल्ड वाइपर

### लक्षण

- काटे गए जगह पर जलन के साथ दर्द
- पीठ के निचले भाग एवं लोइन (पसली एवं कमर के हड्डी के बीच वाली जगह) पर दर्द।
- हेमोरेज के कारण आन्तरिक कोशिकाओं एवं ब्राह्मय कोशिकाओं में रक्तस्राव।
- अत्यधिक इन्फलेमेशन।
- काटे गये स्थान पर तेजी से जलन।
- अत्यधिक नेक्रोसिस।

# Poisonous & Non Poisonous Snakes

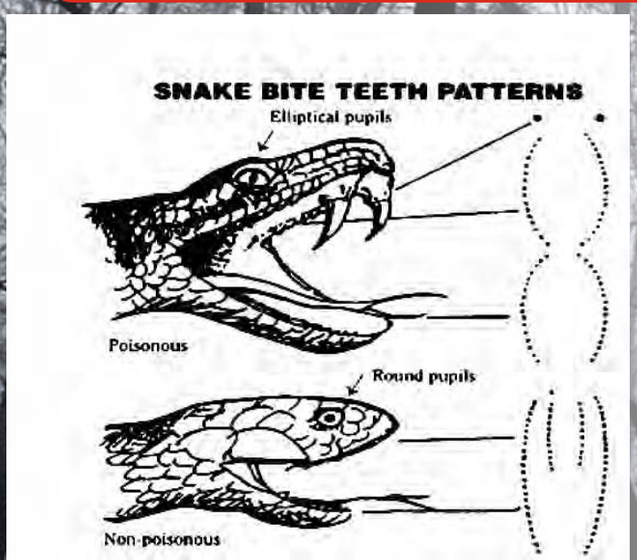


## विषहीन और जहरीले सर्प में विभेदः

काटे हुये स्थान पर दाँत के निशान को गौर से देखने पर दो दाँत के निशान और कई दाँत के ऊपर दृनीचे काटने के निशान दिखाई पड़ते हैं, जैसा की फोटो मे परिलक्षित है। दो से ज्यादा दाँत का निशान विषहीन साँप के होते हैं।

साँप के मुँह को गौर से देखने पर जहरीले साँप के मुँह त्रिभुजाकार (नाग–अपवाद) दिखती है, जबकि विषहीन साँप का मुँह गोलाकार होता है। जहरीले साँपों के आँख अंडाकार (elipitical) होता है और विषहीन साँप का आँख गोलकार होता है।

# विषैले और विषहीन सर्प में अंतर:

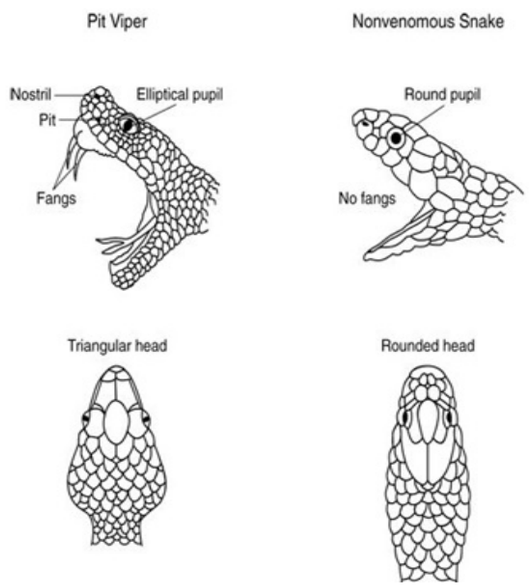


| बनावट | जहरीले साँप | विषहीन साँप |
|---|---|---|
| सिर | त्रिकाण (अपवाद कोबरा) | गोलाकार |
| सिर के सल्क | छोटा | बडा |
| बेली स्केल | फेला हुआ | छोटा पुरी चौडाई तक नहीं फैलता |
| फेंग (विषदंत) | उपस्थित | अनुपस्थित |
| पुतलियॉ | इलिप्टिकल पुतली | गोलाकार |
| एनल प्लेट | एक लाइन वाली प्लेट | दो लाइन वाली प्लेट |
| साँप के आंख एवं नथुनों के बीच पिट या छेद | पिट वाइपर में उपस्थित | अनुपस्थित |
| बाइट का निशान | दंश का निशान | छोटे दॉतों की लाइन |

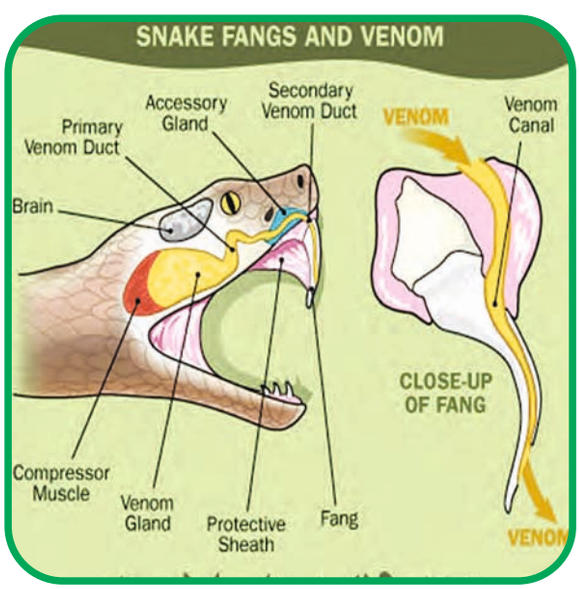


## विष दंश कि प्रक्रिया

साँप के दाँत के पीछे विष कि थैली (venom & gland) होता है, जिसे काटने के बाद सिकोड़ कर विष को दाँत के अंदर सुराख से व्यक्ति के शरीर मे डालता है। इस प्रक्रिया मे कई बार दाँत काटने के बाद देर होने से या विष ग्लैंड मे कम मात्रा होने से कम विष कि मात्र या नगण्य शिकार को डाल पता है। इसलिए कई बार जहरीले सर्प के दंश होने पर और दो दाँत के निशान होने पर भी जहर शरीर मे नहीं दे पता (inject) है।

# सर्प दंश के निशान से सर्प की पहचान

विषहीन सर्प काटने पर

विषहीन सर्प काटने पर

विषहीन सर्प के काटने पर ऊपर और नीचे के कई दाँत के काटने के निशान होते है, जबकि जहरीले साँप के काटने के केवल दो दाँत के निशान होते हैं, जो डेढ़-दो सेंटीमीटर के दूरी पर बनते हैं।

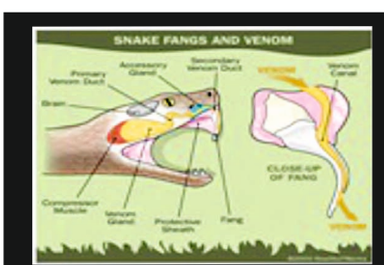


जहरीले दांत

जहरीले दांत के काटने का निशान

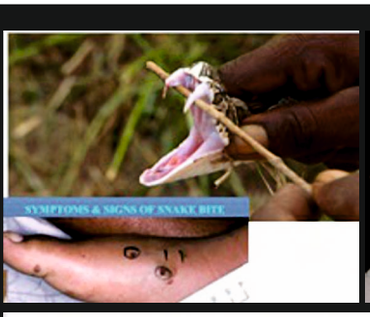

# सर्पदंश प्रबंधन

1. भय एवं चिन्ता न करे–सभी साँप जहरीले नहीं होते।

2. सभी जहरीले साँपों के पास हर समय पूरा जहर नहीं होता अगर पूरा जहर हो तो भी वो इसका लिथल डोज हमेशा नहीं प्रवेश करा पातें हैं।

4. जांच करें कि जहरीले या विषहीन साँप ने काटा है। (नोट– विषहीन साँप के काटने से भी घाव के आसपास सुजन और खुजलाहट होती है)

5. साँप के विष के अनुसार ANTI VENOM Serum (इंजेक्शन) लगवाया जाय.

**सर्पदंश प्रबंधन**

## कटे हुए जगह को साबुन से धोएँ

- दाँत के निशान की जांच करें।
- कटे हुऐ स्थान को immoblised (स्थिर) करें। व्यक्ति को चलने–फिरने न दें।
- कटे हुए अंग को हदय से नीचे रखे।
- घाव के ऊपर बैंडज बाँधें,
- सांत्वना दें। घबराहट से हदयगति/खून का संचरण तेज हो जाता है, जिसे जहर जल्दी फेलने लगता हैं।
- जहरीले साँप ने काटा है, तो जहर के अनुसार AVS (Anti Venom serum) का इंजेक्शन लगाएँ।

## क्या न करें:

मंत्र या तांत्रिक के झांसे में न आयें।

बर्फ या गरम पदार्थ कटे हुए स्थान पर न लगाएँ।

काटे हुए स्थान के ऊपर या नीचे रस्सी से न बांधे.

(Truncate) प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा ही किया जाय।)

चीरा न लगाएँ, artirary/vain कट जाने पर ज्यादा खून बहने से व्यक्ति का बचना मुश्किल हो जाएगा।

घायल को खुद चलने से रोकें।

शराब या नींद आने की दवा न दें।

## साँप से बचाव:

साँप के रहने के स्थल की जानकारी

बारिश, बाढ, रात और खेत में सतर्क रहने की आवश्यकता।

बूट, जूता द्वारा पाँव को ढकना।

जमीन पर नहीं सोना।

मुर्गी, कबूतर, खरगोश, इत्यादि पालतू को घरों से दूर रखना।

मलवा, बिल और दीवार के छेद में सावधानी पूर्वक काम करना।

# Anti venom snake (AVS injection)

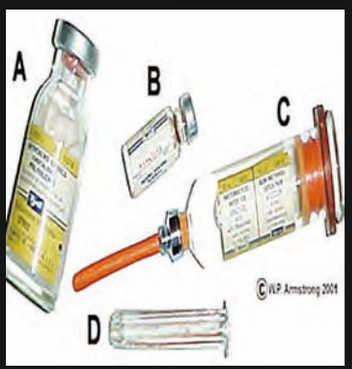


AVS Injection:
1. Hemotoxic
2. Neurotoxin
3. Cytotoxic
4. Common Injection for all snake

## गाँव मे दवा की अनुपलब्धता :

वैसे तो सर्प के विष के तरह के अनुसार अलग–अलग दवा Anti venom snake (AVS injection) उपलब्ध है, लेकिन भारत मे तीनों तरह के जहरीला सर्पों के लिए संयुक्त रूप से (common AVS )भी तैयार किया जाता है। जब सर्प दंश के जहर की सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं होता है, तब common AVS का उपयोग करना उचित माना जाता है। हालांकि सरकारी अस्पताल मे सर्पदंश की दवा मुफ्त दी जाती है, लेकिन विडम्बना यह है की गाँव के स्वास्थ्य केंद्र मे यह दवाई उपलब्ध नहीं होता है। समाज के सबसे गरीब तबके के लोग (किसान, मजदूर और झोपड़ी मे रहने वाले लोग) सबसे अधिक सर्पदंश से प्रभावित होते हैं और यह दवा उनके पहुंच से बाहर होता है। AVS इंजेक्सन बहुत महंगा है (1000 से 1500 रुपए प्रति डोज) और पीड़ित व्यक्ति को उसके बिगड़ती हालात के अनुसार 15– 20 इंजेक्सन तक लगाना पड़ता है। साथ– साथ यह भी बताना सारगर्भित होगा की AVS की इस महंगी दवा को दुकान मे रखने के लिए फ्रिज और सतत बिजली की आवश्यकता होती है, जो गाँव मे सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाता। यहाँ उम्मीद की किरण यह है की आईआईटी दिल्ली ने अमेरिकन विश्वविद्यालय के साथ मिलकर मार्च 2018 मे नई तकनीक का ईजाद किया है जिससे AVS दवा पाउडर के रूप मे बनाई गयी है, जिससे इसे रखने के लिए फ्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है, गाँव के यह दवा दुकान मे उपलब्ध हो सकेगा, साथ–ही–साथ इसका मूल्य भी घटकर 150 रुपए के आसपास तक हो जाएगा। अंत मे, सर्प दंश प्रबंधन की जानकारी को प्रचारित करने /फैलाने की की अवश्यकता है, जिससे समय रहते ही सर्प दंश के उपरांत सही इलाज हो सके।

**के0के0 झा,**
**लेखक** (SDRF), **मैं**
**टू आई0 सी0 के पद पर कार्यरत हैं।**

# हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला-2018 में जनजागरूकता

सोनपुर मेला 2018 में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक स्टॉल लगाया गया जिसका मुख्या उद्देश्य विभिन्न आपदाओं के बारे में जन–जागरूकता फैलाना था। प्राधिकरण ने अपने सहभागियों सहित लोगों को आपदाओं (बाढ़, भगदड़, आग, भूकंप, सड़क सुरक्षा आदि) के बारे में जागरूक करने का प्रयास किया गया।

## अभिप्राय एवं उद्देश्य

- **विभिन्न प्रकार की आपदाओं एवं उनसे बचने के उपायों के बारे में समुदाय को शिक्षित और जागरूक करना।**
- **लोगों को शिक्षित करना कि ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने पर क्या करें और क्या ना करें।**
- **सिविल डिफेन्स, अग्निशमन सेवा, एस.डी. आर.एफ. व एन.डी.आर.एफ. इत्यादि द्वारा विभिन्न तकनीकों के बारे में लोगों को सूचित करना।**
- **लोगों को शिक्षित करना कि सर्पदंश, वज्रपात एवं डुबने से बचने के लिए क्या करें और क्या ना करें।**

प्राधिकरण ने अपने विभिन्न सहभागियों सहित प्रदर्शनी एवं नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से इस कार्य को पूर्ण किया। मेले में जगह–जगह पर SDRF/NDRF अग्निशाम सेवा, सिविल डिफेन्स एवं दोस्ताना सफर, प्रेरणा एवं प्रभाव क्रियटिव सोसाइटी द्वारा विभिन्न आपदाओं से कैसे बचें, आपदा के समय क्या करें और क्या ना करें पर लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक दिखाया गया।

प्राधिकरण के स्टॉल में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल, सिविल डिफेन्स, ऑक्सफैम एवं अग्निशाम सेवा द्वारा विभिन्न आपदाओं में बचाव हेतु उपयोग में लाने वाले उपकरणों एवं उपायों की प्रदर्शनी की गयी थी। सभी हितधारी जन–जागरूकता के कार्य में सहायक रहें। प्राधिकरण के स्टॉल मे पूरे एक महीने देश–विदेश से आये हुए पर्यटकों को ताँता सुबह से रात्रि तक लगा रहता था।

प्राधिकरण का यह प्रयास कि जन–जागरूकता के माध्यम से सोनपुर मेले में लोगों को आपदाओं के बारे में बताना एवं उनसे जूझने की तैयारी कैसे करें के बारे में जागरूक करना सफल रहा। विभिन्न वर्ग, उम्र एवं तबके से लोग आकर लोगों ने आपदा के विषय में जानकारी प्राप्त की।

# किसानों की आय वृद्धि में आपदा प्रबंधन का योगदान

सरकार ने वर्ष 2022 तक देश में किसानों की आय दुगनी करने का संकल्प किया है, जिसे फलीभूत करने के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। लेकिन आय वृद्धि के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कई समस्याऐं आड़े आ रही है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर विभिन्न आपदाओं एवं जलवायु परिवर्तन का कुप्रभाव; जिसके कारण किसानों की खून–पसीने की कमाई मिट्टी में मिल सकती है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, आपदाओं, विशेषकर जल एवं मौसम जनित आपदाओं (hydro-meteorological diasasters) के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील हैं। अभी फिलहाल दिनांक 11.02.2018 को महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के ग्यारह जिलों में ऐसी ही मौसम जनित आपदा– बे मौसम बरसात एवं ओला वृष्टि ने अनुमानतः डेढ़ लाख हेक्टेयर खड़ी फसल को चौपट कर गरीब किसानों को अपार क्षति पहूंचाई। ऐसी आपदायें जहॉ एक ओर प्रत्यक्ष रूप से फसल, पशुधन, मछली एवं मुर्गीपालन जैसे संसाधनों को नष्ट कर कृषक वर्ग को अपार क्षति पहॅूचाती हैं, वहीं इनका अप्रत्यक्ष दूरगामी कुप्रभाव कृषि–भूमि एवं जल संसाधनों पर भी पड़ता है, जो भूखमरी, गरीबी एवं पलायन के रूप में परिलक्षित होता है।

वैश्विक स्तर पर आपदाओं के आंकड़े एकत्र करने वाली संस्था EM-DAT के अनुसार पिछले कुछ वर्षो से भारत सहित विश्व के विभिन्न देशों में आपदाओं की संख्या एवं तीव्रता में अप्रत्यार्शित वृद्धि हुई है, जिसका एक मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन भी रहा है। जलवायु परिवर्तन से आपदाओं, विशेषकर जल एवं मौसम जनित आपदाओं की तीव्रता एवं उनसे होने वाले कुप्रभावों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण भविष्य में विश्व स्तर पर, विशेषकर गरीब एवं विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा एवं जीविकोपार्जन संसाधनों पर संकट गहरा सकता है।

कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं के प्रभावों के विषय में अभी फिलहाल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ0ए0ओ0) द्वारा अड़तालिस विकासशील देशों में प्रमुख आपदाओं का अध्ययन किया गया। शंघाई, जापान में अन्तराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यशाला के दौरान मार्च, 2015 को विमोचित एफ0ए0ओ0 की इस अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार 48 विकासशील देशों में वर्ष 2003 एवं 2013 के मध्य विभिन्न आपदाओं ने कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को अपार क्षति पहॅुचाई। इस दौरान इन देशों में आपदाओं से होने वाले कुल नुकसान का लगभग 22 प्रतिशत कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में हुआ।

आपदाओं के प्रकार की यदि बात करें, तो सूखे से कृषि क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ। सूखे के कारण हुए कुल नुकसान का 84 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को झेलना पड़ा।

आपदाओं का सर्वाधिक प्रभाव फसलों पर हुआ तथा दूसरे क्रम पर पशुधन इनसे प्रभावित हुआ। कृषि क्षेत्र पर आपदाओं के कुप्रभाव के ये आंकड़ें केवल तत्कालीन प्रभाव को दर्शाते हैं, जबकि आपदाओं के कारण कृषि क्षेत्र पर आगे लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कृषि उत्पादन का लगातार ह्रास होता है। एफ0ए0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार 48 विकासशील देशों में दस वर्षों के दौरान 78 बड़ी आपदाओं से कुल मिलाकर तत्कालीन एवं दीर्घकालीन लगभग सत्तर अरब यू.एस. डॉलर की हानि कृषि क्षेत्र में हुई।

हालाकि एफ0ए0ओ0 के द्वारा किये गये इस अध्ययन में भारत शामिल नहीं रहा, लेकिन आपदाओं से कृषि क्षेत्र पर कुप्रभावों को लेकर हमारी स्थिति, रिपोर्ट के परिणामों से ज्यादा भिन्न नहीं है। यदि इस रिपोर्ट को भारत के संदर्भ में आकलित किया जाए तो आपदाओं से देश में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों को प्रति वर्ष लगभग 2.2 बिलियन यू0एस0 डॉलर (आपदाओं से कुल वार्षिक क्षति, लगभग 9.8 बिलियन यू0एस0 डॉलर का 22%) की प्रत्यक्ष हानि होने की संभावना है, जिसमें मृदा, जल इत्यादि प्राकृतिक संसाधनों पर होने वाले दूरगामी कुप्रभाव शामिल नहीं है।

सूखा एवं बाढ़ कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक कुप्रभावित करते है। देश का लगभग 12% भाग बाढ़ प्रवण है। केन्द्रीय जल आयोग के आकड़ों के अनुसार देश में 1953 से 2016 के मध्य बाढ़ एवं अति वृष्टि से लगभग 2380.285 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की फसल बाढ़ से बर्बाद हुई, जिसका मुल्य 86 हजार करोड़ रूपये से अधिक आंका गया। जल आयोग के अनुसार प्रतिवर्ष देश के लगभग 38 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की फसल बाढ़ एवं अति वृष्टि से बर्बाद होती है, जिसके फलस्वरूप औसतन लगभग 1354 करोड़ रूपये की हानि किसानों को उठानी पड़ती है। फसलों के अतिरिक्त गरीब एवं मध्यवर्गीय किसानों की रोजी–रोटी का मुख्य साधन, यानि पशुधन भी बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित होता हैं। रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिवर्ष औसतन 92,000 पशुधन बाढ़ एवं अति वृष्टि से मृत्यु का ग्रास बनते है।

एफ0ए0ओ0 के अध्ययन के अनुसार सुखा कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक कुप्रभावित करता है। सूखे के कारण होने वाले कुल नुकसान का 84: कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर होता है। इतिहास पर यदि गौर करे तो भारत ने वर्ष 1871 एवं 2015 के मध्य 25 बार भयानक सुखे की मार झेली है। पिछले दो दशकों में 1987, 2002, 2009, 2014–15 एवं 2016–17 में सूखे का असर देश के विभिन्न भागों पर पड़ा। भारत के कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग के अनुसार सूखे के कारण वर्ष 2002 एवं 2009 में खाद्यान्न के उत्पादन में क्रमशः 290 एवं 160 लाख टन की गिरावट आई। ना केवल खाद्यान्न, सूखे से पशुधन भी, जो गरीब किसान की आय का मुख्य श्रोत है, बूरी तरह प्रभावित होता हैं[4]।

बाढ़ एवं सूखे के अतिरिक्त अन्य आपदाऐं यथा ओला वृष्टि, अग्निकांड, अति सर्दी या गर्मी जैसी अन्य आपदाऐं भी फसलों एवं अन्य कृषि संसाधनों को अपार क्षति पहूँचाती रही है।

संसद में प्रश्नोत्तर के दौरान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2014–15 में अति ओलावृष्टि एवं बेमौसम बरसात से सात प्रभावित राज्यों में लगभग 94 लाख हेक्टेयर की फसल बरबाद हुई। सरकारी आकड़ों के अनुसार वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में देश के विभिन्न राज्यों द्वारा सूखे एवं ओला वृष्टि से हुई क्षति से राहत के लिए लगभग 83 हजार करोड़ रूपये अनुदान की मांग की गई जिसके आलोक में केन्द्र सरकार द्वारा 21,844 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में स्वीकृत किये गये।

विभिन्न सरकारी एवं अन्य श्रोतों से एकत्र उपरोक्त कृषि क्षेत्र पर आपदाओं के कुप्रभावों से संबंधित यें चन्द आकड़े, जहां एक ओर बेहद चिंता का विषय हैं, वहीं दूसरी ओर कृषि क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता के तौर पर लिए जाने की आवश्यकता को दर्शाते हैं। भारत जैसे देश में जो अपनी भौगोलिक अवस्थिति, जलवायु तथा अन्य कारणों से आपदाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है, तथा जहां कुल आबादी का एक बड़ा भाग अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर करता है, कृषकों को बेहतर आय दिलाने के लिए कारगर कृषि आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर उस पर उचित कार्यवाही करना बेहद प्रासंगिक हो जाता है। कृषि क्षेत्र में आपदाओं के कुप्रभावों को न्यून करने के लिए आवश्यक है कि समस्त स्तरों पर (राष्ट्रीय से ग्रामीण स्तर तक) कृषि संगठन अपने सभी कार्यकलापों में आपदा प्रबंधन की कार्ययोजना को बनाकर उसे भली भांति कार्यान्वित करें। कृषि क्षेत्र मे आपदा प्रबंधन योजना में जिन पॉच अवयवों पर कार्य करने की आवश्यकता है, वें हैं–

(1) सभी स्तरों पर कृषि संगठनों के संस्थागत ढांचों में आपदा प्रबंधन का समायोजन करना,

(2) आपदा प्रवण क्षेत्रों की पहचान एवं उन पर आपदाओं के प्रभावों का आकलन कर एक प्रभावी एवं क्षेत्रीय योजना का निर्माण करना, जिसमें आपदा प्रतिक्रिया (response) के साथ–साथ आपदा शमन (mitigation), निवारण (prevention), एवं तैयारी (prepardness) का सही–सही समायोजन हो, (3) प्रशिक्षण एवं जन जागरूकता के द्वारा कृषि क्षेत्र में कार्यरत सभी हितधारकों (take holders) की आपदा प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि करना,

(4) कृषि क्षेत्र पर आपदाओं के प्रभावों को न्यून करने की नयी एवं उपलब्ध तकनीकों की जानकारी क्षेत्रों में कार्यरत कृषि कर्मचारियों एवं कृषकों को उपलब्ध करा उन पर कार्य करना एवं (5) आपदा प्रवण क्षेत्रों में आपदाओं से प्रभावी ढंग से निबटने के लिए पूर्ण तैयारी कर रखना, ताकि आपदा के तुरंत पश्चात कृषि क्षेत्र में हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।

उपर्युक्त कार्य योजना को तैयार करने से लेकर उसको कार्यान्वित करने तक सभी चरणों पर विभिन्न हितधारकों को शामिल करना अति आवश्यक है, ताकि कार्य योजना पूर्ण व्यावहारिक एवं कार्यान्वयन करने योग्य हो।

जनभागीदारी द्वारा तैयार ऐसी प्रभावी कार्य योजना को तैयार कर उसका सही–सही कार्यान्वयन करने से कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में आपदाओं से होने वाली क्षति को न्यून किया जा सकता है, जो देश में किसानों की आय वृद्धि के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

References:


1. FAO, 2015: The Impact of Disasters on Agricutlure and Food Security; Food and Agricutlure Organistation of United Nations Report produced in March 2015 at Sendai during World Conference on Disaster Risk Reduction.
2. Thakur Pradeep, 11 March, 2015: Disasters cost India $ 10 bn per year; UN Report, in The Times of India. Available at URL- https://timesofindia.indiatimes.com/india/Disasters-cost-India-10bn-per-year-UN-report/articleshow/46522526.cms.
3. Ministry of Water Rsources, Government of India reply in response to Loksabha Unstarred Question No 5349 answered on 06.04.2017.
4. Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, 2016: Manual of Drought Management – December, 2016.

Ministry of Agricutlure and Farmers Welfare's Details of National Disaster Response Fund Assistance for Natural Calamities (Drought and hailstorm) in the States during 2014-15 and 2015-16.

डॉ0 सतेन्द्र
वरीय सलाहकार के पद पर हैं
लेखक, बि0स0आ0प्र0प्रा0

# Incident Response System(IRS): Basic and intermediate course
## पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं भारतीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM), नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में Incident Response System(IRS): Basic and intermediate course पर पाँच दिवसीय का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 08.10.2018 से 12.102018 को बिपार्ड वाल्मी में किया गया।

पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्य अमृत, भा०प्र०से० ने Incident Response System(IRS) के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि काशी त्रास्दी 2008 में Incident Response System(IRS) की बहुत अहम भूमिका रही तथा काफी कारगर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली प्रतिक्रिया के लिए सरकार द्वारा राज्य आपदाकालीन नियंत्रण कक्ष (SEOC) का उद्घाटन 12 अक्टूबर, 2018 को किया जायेगा। उन्होंने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बधाई दी।

प्राधिकरण के सदस्य श्री0 पी0 राय ने Incident Response System(IRS): Basic and intermediate course के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य Response Mechanism को सुदृढ़ करना है तथा रिस्पाउंस के दस्ता जैसे– पुलिस, एन.डी.आ.एफ. आदि को उनकी भूमिका से अवगत कराना है। एन. आई.डी.एम. के श्री शेखर चर्तुवेदी ने IRS प्रशिक्षण पर प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, भवन निर्माण विभाग, पशुपालन एवं मतस्य संसाधन विभाग, एडी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, सी0आर0पी0एफ0, आई0टी0बी0पी0, सी0आई0एस0एफ0, बिहार अग्निशमन सेवा, बिहार गृहरक्षा वाहिनी, बिहार पुलिस प्रशिक्षण तथा जी0ओ0सी0 दानापुर के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बिहार सरकार के विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपअधीक्षक/मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्तर के पदाधिकारियों के लिए आयोजित किया जा रहा है।

# आपदारोधी भवन निर्माण पर राज्य के बैकों के साथ भारतीय रिर्जव बैंक में बैठक का आयोजन

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं भारतीय रिर्जव बैंक की पहल पर आपदारोधी भवन निर्माण को बढ़वा देने के उद्वेश्य से बैठक का आयोजन भारतीय रिर्जव बैंक, के सभागार पटना में दिनांक 29.11.2018 को आयोजित किया गया।

इस बैठक का मूल उद्वेश्य आपदारोधी भवन निर्माण तकनीक को बढ़ावा देना है। राज्य के बैकों द्वारा बड़े–बड़े भवनों, निजी भवनों तथा गृह निर्माण हेतु लोन दिया जाता है, जिसका नक्शा सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित किया जाता है। इस संदर्भ में अगर बैंक भी अपनी ओर से आपदारोधी भवन निर्माण तकनीक को आवश्यक मापदंड के रूप में स्वीकार करे तो आपदारोधी भवन निर्माण तकनीक को व्यापक स्तर पर बढ़ावा दिया जा सकता है।

इस बैठक में राज्य के सरकारी एवं निजी बैकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है।

बैठक की अध्यक्षता, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य, श्री पी0 एन0 राय द्वारा किया गया। इस अवसर पर भारतीय रिर्जव बैंक के क्षेत्रिय निदेशक, श्री एन0 पी0 टोपनो, महाप्रबंधक, श्री मनोज रंजन, एवं अन्य उपस्थित थे। इस बैठक में भवन निर्माण विभाग, शहरी विकास एवं आवास विभाग, पटना नगर निगम बिहार अग्निशमन सेवाएँ के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

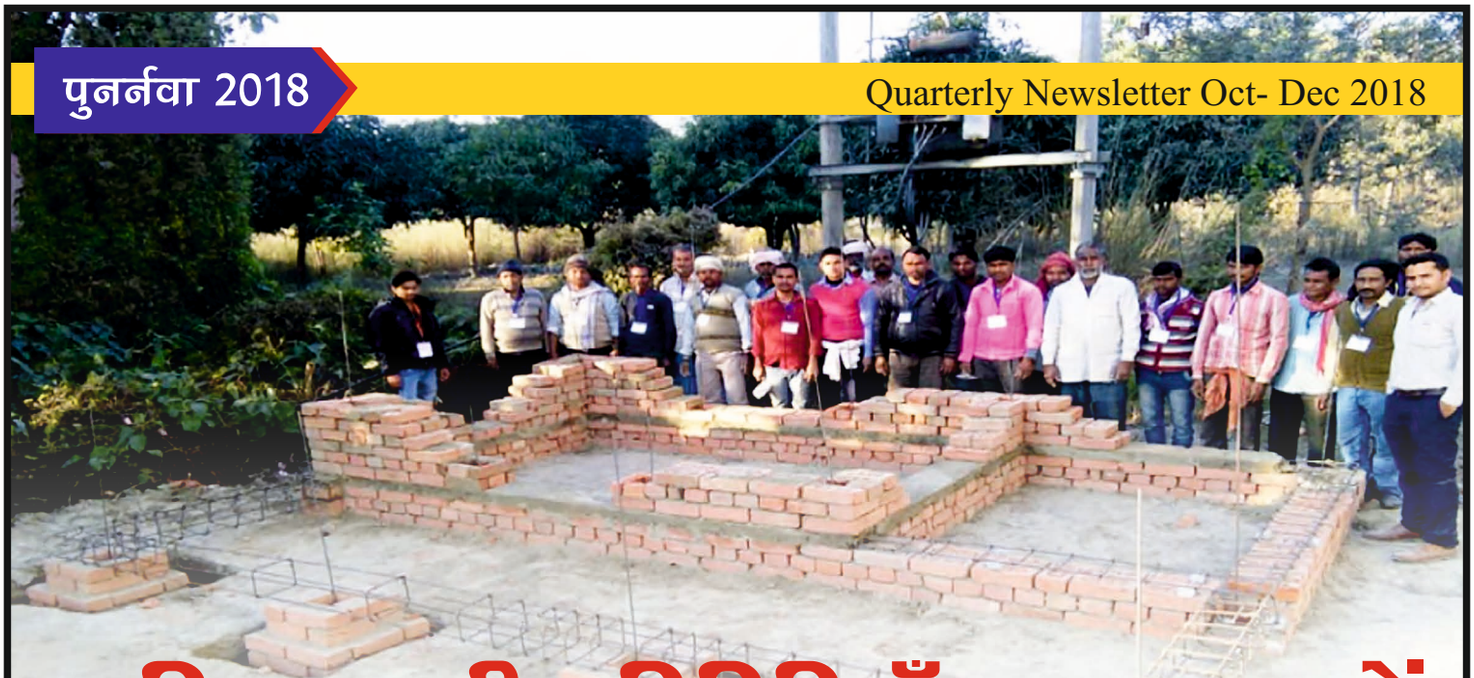

# प्राधिकरण की गतिविधियाँ: एक नजर में

## अभियंताओं/वास्तुविदों/संवेदकों/राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

## राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षण

**(1)** नवम्बर, 2018 माह तक कुल 3042 राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया था। दिनांक 6 से 12 दिसम्बर 2018 को दरभंगा जिला के तेरह प्रखंडों (दरभंगा सदर, बहादुरपुर, हनुमान नगर, हायाघाट, बहेरी, बेनीपुर, अलीनगर, घनश्यामपुर, गौरा बैराम, किरतपुर, बिरौल, कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी) में **371 राजमिस्त्रियों** को प्रशिक्षित किया गया।

**(2)** दिनांक 26–27 दिसम्बर 2018 को राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षक तैयार करने के लिए दो दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला में **47 नये स्नातक इंजीनियरों** ने भाग लिया।

**(3)** दिनांक 28–29 दिसम्बर 2018 को राजमिस्त्रियों के वर्तमान प्रशिक्षकों का दो दिवसीय जाँच परीक्षा कार्यक्रम सम्पादित किया गया। इस कार्यक्रम में **45** प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।

**(4)** नवंबर 2018 तक 1152 असैनिक अभियंताओं को भूकम्परोधी भवन निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया था। दिनांक 11–14 दिसम्बर 2018 को दरभंगा जिला के **57** असैनिक अभियंताओं को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

दिनांक 19–22 दिसम्बर 2018 को मधुबनी जिला के **54** असैनिक अभियंताओं को भूकम्परोधी भवनों के विषय पर प्रशिक्षित किया गया।

इस प्रकार दिसम्बर 2018 तक कुल 3042+371=**3413 राजमिस्त्रियों** एवं 1152+57+54=**1263 असैनिक अभियंताओं** को प्रशिक्षित किया गया है।

# दिसम्बर 2018 में संचालित कार्यक्रम का विवरण

**Mason Trainers Training / Refresher at Pant Bhawan**

| Sr. | Name of Program | Training Date | No. of Participants |
|---|---|---|---|
| 1 | Orientation and Test | 26-27 December | 47 new Engineers |
| 2 | Test Examination | 28-29 December | 45 Mason trainers |

**7 days block level mason training at Darabhanga District**

| Sr. No. | Name of Block | Training Date | No. of mason trained |
|---|---|---|---|
| 1. | Darbhanga Sadar | 06-12 December 2018 | 28 |
| 2. | Bahadurpur | | 24 |
| 3. | Hanuman Nagar | | 27 |
| 4. | Hayaghat | | 29 |
| 5. | Baheri | | 26 |
| 6. | Benipur | | 30 |
| 7. | Alinagar | | 30 |
| 8. | Ghanshyampur | | 29 |
| 9. | Gaura Bairam | | 28 |
| 10. | Kiratpur | | 30 |
| 11. | Biraul | | 30 |
| 12. | Kusheshwar Asthan | | 30 |
| 13. | Kusheshwar Asthan (East.) | | 30 |
| | | Total | 371 |

**4 days Engineers Training in districts**

| Sr. No. | Name of District | Training Date | No. of engineers trained |
|---|---|---|---|
| 1. | Darbhanga | 11-14 December 2018 | No. of Engineers trained: 57 |
| 2. | Madhubani | 19 - 22 December 2018 | No. of Engineers trained: 54 |

www.jagran.com

विविध गतिविधियां

## राजमिस्त्रियों को दिया गया प्रशिक्षण

जेएनएन, दरभंगा : अलीनगर, कुशेश्वरस्थान एवं हायाघाट समेत जिले के कई प्रखंडों में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर राज मिस्त्री को भूकंप रोधी मकान निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। अलीनगर में प्रशिक्षण प्रभारी कुमार सौरभ, मास्टर ट्रेनर वैद्यनाथ पासवान, मो. मुस्लिम अंसारी ने राज मिस्त्री को नई तकनीक की जानकारी दी। मौके पर सीओ समेत अन्य कर्मी मौजूद रहे।

कुशेश्वरस्थान : जनप्रतिनिधि भवन में भूकंपरोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीक सलाहकार डॉ सुनील कुमार चौधरी ने भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए कुर्सी एवं नींव की सुरक्षा के महत्व को बड़े ही सरल, सहज एवं प्रभावकारी तरीके से समझाया। मौके पर सीओ मनोज कुमार श्रीवास्तव सहित अनेक लोग उपस्थित थे।

हायाघाट : प्रखंड मुख्यालय स्थित ट्रायसम भवन में आपदा प्राधिकरण की ओर से आयोजित सात दिवसीय आपदा प्रशिक्षण के दौरान 30 अनुभवी राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्रभारी एवं मास्टर ट्रेनर्स शिवम शर्मा, ऊजय कुमार व त्रिभुवन साह आदि मौजूद थे। इससे पूर्व उक्त प्रशिक्षण का उद्घाटन वीडीओ राकेश कुमार व उपप्रमुख फखरे आजम ने संयुक्त रूप से किया।

## राज मिस्त्रियों को भूकंपरोधी मकान निर्माण का दिया प्रायोगिक प्रशिक्षण

- राज्य आपदा प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार ने दी बारीक जानकारी

**प्रतिनिधि** ▷ सदर

नींव निर्माण का प्रायोगिक प्रशिक्षण देते तकनीकी सलाहकार डॉ सुनील कुमार चौधरी.

प्रखंड मुख्यालय स्थित ई-किसान भवन में राज मिस्त्रियों को भूकंपरोधी मकान निर्माण के लिए प्रायोगिक तौर से प्रशिक्षण दिया गया. वहां मौजूद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तकनीकी सलाहकार डॉ सुनील कुमार चौधरी ने भूकंपरोधी भवन के लिए कुर्सी एवं नींव की सुरक्षा की महत्ता को बड़े ही सरल, सहज एवं प्रभावी तरीके से समझाया. उन्होंने बताया कि भूतल से 0.6 मीटर नीचे ठोस मिट्टी उपलब्ध हो तो वहां खुला नींव अपना सकते हैं. उन्होंने चिकनी मिट्टी, बलुआही मिट्टी या बलुआही चिकनी मिट्टी में भूतल से कम से कम 1.5 मीटर की गहराई पर वर्गाकार ईंट पीलर नींव या आरसीसी पीलर नींव उपयोग किये जाने के तरीके बताये. कहा कि यदि किसी स्थल पर बहते जल से कटाव के कारण गहराई अधिक हो तो नींव की गहराई बढ़ाये जाने को कहा. श्री चौधरी ने कहा कि जहां बहते जल से गहरे कटाव अथवा भूकंप में बलुआही मिट्टी के द्रवीकरण की संभावना हो, वहां एक मंजिला मकान के लिए निचले भाग में एक बल्ब वाले 3.3 मीटर गहरे आरसीसी पाइल नींव का उपयोग किया जा सकता है. पीलर नींव या पाइल नींव की आपसी दूरी 1.5 मीटर से 1.8 मीटर तक रखनी चाहिए.

मौके पर विभिन्न प्रकार की नींव आरसीसी पीलर नींव एवं ईंट पीलर नींव निर्माण का अभ्यास मास्टर ट्रेनर की देखरेख में राजमिस्त्रियों को कराया गया. नई तकनीक की जानकारी से राजमिस्त्री उत्साहित नजर आये. मौके पर सीओ अरुण कुमार सक्सेना, अंचलकर्मी, जनप्रतिनिधि के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.

# बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' पर व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्राधिकरण की बैठकों (10वी एवं 11वी) के निर्णय के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर दो दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से जनवरी 2018 से प्रारंभ किया गया है।

वर्तमान में जिला स्तर पर पदस्थापित बि.प्र.से. के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बिपार्ड में चल रहा है। माह जून 2018 तक कुल 509 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 13.06.2018 में प्राधिकरण को दिए गए निदेशों के अनुरूप जून माह में बाढ़ प्रवण जिलों में स्थानांतरित आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में गैर अनुभवी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल अधिकारियों का प्रशिक्षण जुलाई माह से बिपार्ड में प्रारंभ किया गया। इनके प्रशिक्षण के सम्पन्न हो जाने के उपरांत दिसम्बर 2018 से अवशेष बचे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया।

माह दिसम्बर में चार चरणों में कुल 85 पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है जिसका विवरण निम्न है।

| दिनांक | प्रशिक्षणार्थियों की संख्या |
|---|---|
| 04—05 दिसम्बर, 2018 | 18 |
| 11—12 दिसम्बर, 2018 | 20 |
| 18—19 दिसम्बर, 2018 | 26 |
| 26—27 दिसम्बर, 2018 | 21 |
| **कुल** | **85** |

इस प्रकार दिसम्बर 2018 तक 509+85—594 बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को प्रशिक्षित किया गया।

## राज्य एवं जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय गतिविधियों, यथा, प्रत्येक जिलों के मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (29 जनवरी से 19 अप्रैल) एवं जिला स्तरीय पदाधिकारियों के एक दिवसीय उन्मुखीकरण (14 मई से 19 मई) के पश्चात बिहार के जिलों में जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय कार्यक्रम दिनांक 21 मई से प्रारम्भ हुआ। सभी 38 जिलों में जिला स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हो गया है।

अभी तक राज्य स्तर पर 605 मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार किया गया है एवं जिला स्तर पर 4231 मास्टर प्रशिक्षिकों की सूची प्राप्त हो चुकी है।

## प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण

इस कार्यक्रम के तीसरे चरण में विद्यालयवार फोकल शिक्षकों का प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम दिसम्बर माह तक गोपालगंज जिले को छोड़कर सभी 37 जिलों में संपन्न हो चुका है। इस चरण में सभी विद्यालयों से एक–एक फोकल शिक्षक को प्रशिक्षित किया जाना है।

अभी तक प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित हुए 40,080 प्रशिक्षित फोकल शिक्षकों की सूची शिक्षा विभाग से प्राप्त हो चुकी है।

## संकुल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के चौथे चरण में विद्यालयवार बाल प्रेरकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संकुल स्तर पर होना था। दिसम्बर माह तक 35 जिलों में संकुल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुका है। 03 जिले जहाँ संकुल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हुआ है वे हैं– औरंगाबाद, गोपालगंज, सहरसा, अभी तक कुल 1,84,767 बाल प्रेरकों को प्रशिक्षित किये जाने की जानकारी शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है।

## मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

## विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार का क्रियान्वयन

**इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार की वार्षिक सारणी के अनुसार प्रत्येक शनिवार को बाल प्रेरकों एवं फोकल शिक्षकों के माध्यम से विद्यालयों में आपदा सम्बन्धी जागरूकता कार्यक्रम चलाना था। अभी तक 35 जिलों में विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चुका है। शेष 03 जिले जहाँ विद्यालय स्तर पर यह कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं हो पाया है वे जिले हैं- औरंगाबाद, गोपालगंज, एवं सहरसा।**

**सुरक्षित शनिवार के क्रियान्वयन दस्तावेज में वर्णित वार्षिक सारणी के अनुसार दिसम्बर माह के प्रथम शनिवार को बिहार के विभिन्न विद्यालयों में "निमोनिया एवं सर्दी-खांसी/जुकाम, आँख एवं त्वचा का संक्रमण, चेचक से खतरे तथा इसके बचाव के उपाय की जानकारी" के बारे में फोकल शिक्षकों एवं बाल प्रेरकों के द्वारा जानकारी दी गयी। दिसम्बर माह के दूसरे शनिवार को "हाथ धुलाई खुले में शौच के खतरे, मॉल का सुरक्षित निपटान के सन्दर्भ में जानकारी" के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। तीसरे शनिवार को "जल एवं भूमि का संरक्षण, वायु प्रदूषण एवं पेड-पौधों का संरक्षण के सन्दर्भ में जानकारी" दी गयी। चौथे शनिवार को "शीतलहर से खतरे एवं इससे बचाव के उपाय के बारे में जानकारी" के सन्दर्भ में जानकारी दी गयी। पांचवे शनिवार को "बच्चों को स्वच्छता संबंधित जानकारी एवं उसका अभ्यास" के संबंध में बच्चों को बताया गया।**

## कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए डाटा एंट्री

इस कार्यक्रम के अनुश्रवण के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा एक डाटा फॉर्मेट भी विकसित किया गया है जिसे Google क्तपअम के माध्यम से सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। इसमें विस्तृत तौर पर विद्यालयवार फोकल शिक्षकों एवं अन्य गतिविधियों का डाटा इकठ्ा किया जा रहा है।

इसी क्रम में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के द्वारा दिनांक 20 अगस्त को एक स्मार पत्र भी सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को भेजा गया है एवं विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना बनाने के लिए एक 5 पृष्ठों का फॉर्मेट भी भेजा गया है।

मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति के गठन के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति का गठन प्रस्तावित है। समिति का गठन करने हेतु सभी जिलों को पत्र भेजा गया जिसकी प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी गई है।

सुपौल, मधेपुरा एवं गया में जिला स्तरीय समिति गठित करने की सूचना प्राप्त हो चुकी है।

## कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु पोर्टलक का निर्माण

चूँकि यह कार्यक्रम राज्य के सभी सरकारी एवं निजी प्राथमिक/मध्य विद्यालयों एवं मदरसों में नियमित रूप से संचालित किया जाना है, अतएव कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु यूनिसेफ के सहयोग से एक पोर्टल के निर्माण पर काम चल रहा है। इस पोर्टल पर फोकल शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु किए गए नवाचार एवं गतिविधियों को भी साझा करने की सुविधा रहेगी ताकि फोकल शिक्षक एक दूसरे से सीख सकें।

## सुरक्षित शनिवार व्हाट्स एप ग्रुप

सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार विद्यालयों में आयोजित गतिविधियों को एक दूसरे से साझा करने एवं सीखने–सीखाने के लिए व्हाट्स एप (whatsapp) ग्रुप बनाया गया है। फोकल शिक्षक एवं मास्टर प्रशिक्षक इस माध्यम का भरपूर उपयोग कर रहे हैं।

## पटना जिला के सभी निजी विद्यालयों, मदरसों, संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों के फोकल शिक्षको का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम–

विभिन्न जिलों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित होने वाले सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के अनुश्रवण से ज्ञात हुआ कि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से सरकारी विद्यालयों में चल रहे हैं जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश के आलोक में सभी विद्यालयों में इस कार्यक्रम को संचालित करना है। इस आशय का आदेश शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिलों को भेजा गया है। परन्तु अभी तक निजी विद्यालयों एवं मदरसों आदि में फोकल शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षित नहीं किया जा सका है।

फलतः प्राधिकरण स्तर से तत्काल पटना जिले के सभी निजी विद्यालयों, मदरसों, संस्कृत शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों एवं अन्य विभागों द्वारा संचालित विद्यालयों के एक–एक नामित फोकल शिक्षकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण (लगभग 850 विद्यालयों के फोकल शिक्षक) कुल 18 बैचों में कराने का निश्चय किया गया है। बाद में अन्य जिलों के लिए भी इसका विस्तार किया जाएगा।

दिनांक 26–27 सितम्बर को पटना के ए० एन० सिन्हा सामाजिक अध्ययन संस्थान गाँधी मैदान पटना में यह प्रशिक्षण प्रारम्भ हुआ। सितम्बर माह में एक बैच में 50 फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। अक्टूबर माह में 6 बैचों में निजी विद्यालयों के 312 फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। नवम्बर माह में 6 बैचों में निजी विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यालयों के 310 फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। दिसम्बर माह में 5 बैचों में निजी विद्यालयों के 265 फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

| बैच | दिनांक | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|
| चौदहवां बैच | 04–05 दिसम्बर | 59 |
| पंद्रहवां बैच | 04–05 दिसम्बर | 52 |
| सोलहवां बैच | 04–05 दिसम्बर | 40 |
| सत्रहवां बैच | 04–05 दिसम्बर | 62 |
| अठारहवां बैच | 04–05 दिसम्बर | 52 |

इस तरह 18 बैचों में निजी विद्यालयों एवं संस्कृत विद्यालयों के 50+312+310+265=937 फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

# नाविकों एवं ना0 मालिकों का प्रशिक्षण

प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से चयनित 29 जिलों में जिला प्रशासन द्वारा आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय सहयोग से नाविकों एवं नाव मालिकों को सुरक्षित नौका चालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिला स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा विकसित हस्त पुस्तिका सभी नाविकों एवं नाव मालिकों को उपलब्ध करायी गयी है एवं करायी जा रही है एवं प्रशिक्षण का अनुश्रवण किया जा रहा है। जिलों से प्राप्त सूचनानुसार गत माह नवम्बर तक 24 जिलों के कुल 4966 नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित किया गया था। माह दिसम्बर में गोपालगंज, लखीसराय एवं शेखपुरा जिलों में कुल 337 नाविक एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षण दिया गया।

किशनगंज से 04, भागलपुर से 06, पूर्णिया से 01, सहरसा से 08, सुपौल से 01 एवं वैशाली जिले से 01, कुल 21 प्रशिक्षित नाविकों एवं नाव मालिकों की अतिरिक्त सूची प्राप्त है। जिसे दिसम्बर माह की प्रगति में शामिल किया जा रहा है।

## दिसम्बर माह के प्रशिक्षण का विवरण निम्नांकित है:-

| क्रम संख्या | जिला का नाम | प्रशिक्षित नाविकों एवं नाव मालिकों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | गोपालगंज | 239 |
| 2 | लखीसराय | 86 |
| 3 | शेखपुरा | 12 |
| | **कुल** | **337** |

इस प्रकार अब तक कुल 4966+337+21=5324 नाविक/नाव मालिक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। अनुश्रवण के दौरान सूचना प्राप्त है कि सीतामढ़ी जिले में भी प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है, परन्तु प्रशिक्षितों की संख्या एवं विवरणी प्राप्त नहीं हो सकी है।

| क्रम संख्या | जिला का नाम |
|---|---|
| 1 | सीतामढ़ी |

नालंदा जिले में प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर लेने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया है।

# नौकाओं के निबंधन हेतु निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण

नौकाओं के सर्वेक्षण एवं निबंधन हेतु विभिन्न जिलों में आदर्श नौका नियमावली के प्रावधानों के अनुसार संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा अधिसूचित निबंधकों/सर्वेक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अर्न्तगत गत अक्टूबर माह तक कुल 17 बैचों में 22 (अति बाढ़ प्रवण एवं बाढ़ प्रवण) जिलों के कुल 398 निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण NINI, (गायघाट, पटना) में कराया जा चुका है।

## दिसम्बर 2018 की प्रगति निम्नवत् हैः-

| सत्र संख्या | तिथि | प्रशिक्षण में शामिल जिलें | स्थान | कुल प्रशिक्षित प्रशिक्षु |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.12.2018 से 07.12.2018 | सीतामढ़ी/दरभंगा | **NINI गाय घाट, पटना** | 23 |
| 2. | 11.12.2018 से 13.12.2018 | सीतामढ़ी/दरभंगा/मुंगेर | | 19 |
| 3. | 19.12.2018 से 21.12.2018 | सीतामढ़ी/दरभंगा | | 16 |
| | **कुल** | | | **58** |

इस प्रकार दिसम्बर माह तक 22 जिलों के कुल 398+58=456 निबंधकों/सर्वेक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

# आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रमः–

## राज्य स्तर पर प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा जिलों में प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण

पंचायती राज संस्थानों के जन प्रतिनिधियों के प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण हेतु प्राधिकरण द्वारा जिलों को आवश्यक वित्तीय सहयोग दिया जा रहा है। अब तक निम्नांकित जिलों में प्रखंड स्तर पर जन प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किए जाने की सूचना प्राप्त हैः–

1. मधुबनी 2. मधेपुरा 3. दरभंगा 4. पूर्वी चम्पारण 5. सुपौल 6. पटना 7. सारण 8. सहरसा 9. सीतामढ़ी, 10. शिवहर 11. किशनगंज 12. नालंदा 13. सिवान 14. समस्तीपुर 15. मुजफ्फरपुर 16. वैशाली 17. बांका 18. जहानाबाद 19. कटिहार 20. पश्चिमी चम्पारण 21. बक्सर 22. अररिया 23. औरंगाबाद 24. अरवल 25. नवादा 26. खगड़िया 27. शेखपुरा 28. कैमूर 29. भागलपुर 30. बेगूसराय 31. पूर्णिया 32. रोहतास 33. जमुई 34. मुंगेर 35. गोपालगंज।

उपर्युक्त जिलों से प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों के आँकड़े विहित प्रपत्र में प्राधिकरण को भेजने हेतु अनुरोध किया गया है एवं उन सभी जिलों से यह भी अनुरोध किया गया है कि प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों का डाटा बेस तैयार कर जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय। अभी तक मात्र मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सारण, जहानाबाद, पूर्वी चम्पारण, सुपौल एवं बांका जिले से विहित प्रपत्र में प्रशिक्षण का ऑकड़ा प्राप्त हुआ है।

### इन 8 जिलों से प्राप्त प्रशिक्षित पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या निम्नवत् हैः–

| क्र0 सं0 | जिला का नाम | जिला परिषद सदस्य (प्रखण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षितों की सं0) | पंचायत समिति सदस्य (प्रखण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षितों की सं0 | मुखिया (प्रखण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षितों की सं0) | सरपंच (प्रखण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षितों की सं0) | वार्ड सदस्य (प्रखण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षितों की सं0) | पंच (प्रखण्ड क्षेत्र में प्रशिक्षितों की सं0) | कुल प्रशिक्षतों की सं0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मधुबनी | 56 | 539 | 371 | 378 | 5149 | 5127 | 11620 |
| 2. | मुजफ्फरपुर | 25 | 288 | 263 | 207 | 1627 | 1291 | 3701 |
| 3. | शिवहर | 1 | 48 | 30 | 35 | 558 | 540 | 1212 |
| 4. | सारण | 6 | 294 | 273 | 239 | 3897 | 3139 | 7848 |
| 5. | जहानाबाद | 4 | 87 | 78 | 85 | 968 | 927 | 2149 |
| 6. | पूर्वी चम्पारण | 10 | 271 | 236 | 262 | 3234 | 2553 | 6566 |
| 7. | सुपौल | 15 | 198 | 146 | 145 | 1766 | 1631 | 3901 |
| 8. | बांका | 13 | 161 | 117 | 152 | 1987 | 1912 | 4342 |
| | **कुल** | **130** | **1886** | **1514** | **1503** | **19186** | **17120** | **41339** |

# आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर बिहार के सभी जिलों के चयनित प्रखण्डों के प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार राज्य के बहु–आपदा के संबंध में प्रखण्ड स्तर तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन संबंधी जागरूकता के उद्देश्य से बिहार के सभी प्रखंडों के प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष का ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आरंभ किया गया है।

इस प्रशिक्षण के माध्यम से सभी प्रखंडों के प्रमुख एवं जिला परिषद् अध्यक्ष को बहु–आपदा के जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के संबंध में जानकारी उपलब्ध करायी जा सकेगी और इसके द्वारा आपदाओं के जोखिम की पहचान कर उससे सामना करने हेतु उनका क्षमतावर्धन हो सकेगा तथा ''बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–2030'' के उद्देश्य के अनुरूप एक ''सुरक्षित बिहार'' के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी।

प्राधिकरण द्वारा माह नवम्बर 2018 से चयनित प्रखंडों के प्रमुखों को ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

## जिसका विवरण निम्नवत है:-

| कम | दिनांक | प्रतिभागी जिला | प्रतिभागियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 27—28 नवम्बर, 2018 | मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, जमुई, रोहतास, अररिया, खगड़िया, पटना, गोपालगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी, अरवल, पूर्वी चम्पारण, बक्सर, मुंगेर, पश्चिम चम्पारण। | 20 |
| 2 | 6—7 दिसम्बर 2018 | मधेपुरा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, खगड़िया, पटना, गोपालगंज, दरभंगा, सीतामढ़ी, अरवल, पूर्वी चम्पारण, बक्सर, पश्चिम चम्पारण, किशनगंज, भागलपुर, गया, कटिहार, नवादा, औरंगाबाद, नालंदा, भोखपुरा, पूर्णिया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, लखीसराय, जहनाबाद। | 37 |
| 3 | 11—12 दिसम्बर 2018 | मधुबनी, पटना, गोपालगंज, दरभंगा, भागलपुर, औरंगाबाद, भोखपुरा, मुजफ्फरपुर, लखीसराय, अरवल, जहनाबाद, सारण, रोहतास, सिवान। | 15 |
| 4 | 17—18 दिसम्बर, 2018 | कैमूर, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, कटिहार, सहरसा, रोहतास, जहनाबाद, गया, किशनगंज, सुपौल, खगड़िया, सारण, लखीसराय, पटना, सिवान, वैशाली, नालन्दा, मधुबनी, समस्तीपुर, भोजपुर, भागलपुर। | 29 |
| 5. | 27—28 दिसम्बर, 2018 | नालन्दा, मधेपुरा, दरभंगा, लखीसराय, रोहतास, भोखपुरा, औरंगाबाद, भागलपुर, सिवान, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, सुपौल, बेगूसराय, पश्चिम चम्पारण, कैमूर, पटना। | 26 |
| | | कुल | 127 |

**इस प्रकार दिसम्बर माह तक कुल 127 प्रखंड प्रमुखों को प्रशिक्षित किया गया है।**

## बिहार भूकम्पमांपी तंत्र का प्रगति विवरण

1. भूकम्प दूरमापी तंत्र का केन्द्र पटना विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित करने के संबंध में पटना विश्वविद्यालय एवं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच एक Memorandum of Understanding (MoU) हस्ताक्षरित किया जाना लंबित है। विश्वविद्यालय प्रशासन एवं कुलपति से लगातार सम्पर्क किया जा रहा है। स्थल उपलब्ध हो जाने पर संग्रहण केन्द्र का निर्माण प्रारंभ होगा।

2. दस क्षेत्रीय वेधशालाओं में छः में निर्माण कार्य चल रहा है। मोतीहारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज एवं छपरा में Roof Casting का कार्य पूरा हो चुका है तथा पूर्णिया में Roof Level तक एवं पटना क्षेत्रीय वेधशाला में Ground Level तक का कार्य पूरा किया जा चुका है। अन्य चार वेधशालाओं में कार्य शीघ्र शुरू करने हेतु बिहार भवन निर्माण निगम को लगातार अनुरोध किया जा रहा है।

3. क्षेत्रीय वेधशालाओं एवं संग्रहण केन्द्र का निर्माण होने पर मशीनों का क्रय एवं अधिष्ठापन किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति आवश्यक मशीनों का निर्धारण कर दिया गया है।

## Mass Messaging/Whatsapp Advisory

दिसम्बर माह में प्राधिकरण द्वारा **"ठंड से बचने के उपाय"** एवं **"शीतलहर से कैसे बचें** पर Mass Messaging किया गया जो निम्नांकित है:- पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया, पंचों, वार्ड सदस्यों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों, जिला परिषद् सदस्यों:-(6,43,122), आशा कर्मचारियों (77,542), जीविका दीदी (1,48,890), आंगनबाड़ी सेविका (45,946), प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित फायर सर्विसेस (142) **बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित:-** फोकल टीचर (1542), नाविक एवं नाव मालिक (3520), मुखिया और सरपंच (968), अभियंत्ता (785), मैसन (2529), आदि लोगों को डें डमेंहपदह द्वारा जागरूक किया गया। **प्रशासन:-** DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), DCLR (102), Commisioners (9) मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सुरक्षित शनिवार की Monitoring के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा हर सप्ताह वार्षिक सारणी पर आधारित Mass Messaging किया जा रहा है।

बिहार सरकार

# बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

## सुरक्षित छठ पूजा के लिए कुछ सुझाव

### सामान्य नागरिक

| क्या करें | क्या न करें |
|---|---|
| प्रशासन द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करें | अफवाहें न फैलाएं न उन पर विश्वास करें |
| निर्धारित मार्गों पर ही चलें और गाड़ियां निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें | बैरिकेडिंग को न पार करें और खतरनाक घाटों की ओर या गहरे पानी में न जायें |
| महिलाओं/बुजुर्गों के पास अपने घर का पता और फोन नंबर अवश्य हो | |
| छठ पर्व के दौरान घाटों पर सफाई का विशेष ध्यान रखें | |
| किसी प्रकार की समस्या होने पर अधिकृत पदाधिकारियों / स्वयं सेवकों से ही संपर्क करें | छठ पूजा क्षेत्र में कहीं भी आतिशबाजी न करें |
| यदि आप छोटे बच्चों को छठ पर्व में घाटों पर लेकर जा रहे हैं तो उनके जेब में (या गले में लॉकेट की तरह) घर का पता एवं फोन नंबर अवश्य रख दें | |
| अगर आवश्यक हो तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके बात करें | किसी भी प्रकार की गंदगी न फैलाएं |

### प्रशासन क्या करे

- सभी हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करें
- खतरनाक घाटों का चिंह्नीकरण एवं बैरिकेडिंग करें ताकि श्रद्धालु वहां न जायें
- घाटों की अच्छी प्रकार से सफाई की जाए
- घाटों पर साफ़ पेयजल की व्यवस्था की जाए
- मार्गों का चिंह्नीकरण/ संकेतीकरण किया जाए
- घाट पर जानेवाले रास्तों की समुचित साफ-सफाई हो
- मार्गों एवं घाटों पर समुचित प्रकाश व्यवस्था हो
- बिजली के जर्जर तारों को बदल दिया जाये एवं अबाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए
- पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से भीड़ का नियंत्रण एवं अन्य सूचनाओं का प्रसारण किया जाए
- छठ पर्व में तैनात विभिन्न महत्वपूर्ण एजेंसियों के पदाधिकारियों / कर्मचारियों की पहचान के लिए अलग-अलग रंग के जैकेट की व्यवस्था हो, जिस पर उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा भी अंकित हो
- नहाय-खाय के दिन से ही निजी नावों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध हो
- आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो
- अग्नि-शाम की गाड़ियों की तैनाती पहले से ही संवेदनशील स्थानों पर की जाए
- छठ पूजा समितियों के स्वयं-सेवकों का छठ पर्व के प्रबंधन में सहयोग लिया जाए
- अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निबटने की व्यवस्था हो
- घाटों पर गोताखोरों एवं एनडीआरएफ/एसडीआरएफ टीमों की आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्ति की जाए
- घाट पर विभिन्न स्थानों पर 'हेल्पलाइन नंबर' का प्रदर्शन किया जाए

**जनहित में जारी**

**बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना-800 001, फोन : +91 (612) 2522032, फैक्स : +91 (612) 2532311. Visit us : www.bsdma.org; e-mail : info@bsdma.org

अन्य उपयोगी फोन नंबर: अग्नि शमन सेवा-101, राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र (SEOC-0612-2217301-305) आपदा प्रबंधन विभाग-0612-2215600

# पुनर्नवा 2018

Quarterly Newsletter Oct- Dec 2018

आपदा से बचाव को प्रशिक्षित किए गए जनप्रतिनिधि

मकान के भूकंपरोधी होने की स्वयं जांच करें

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:

**बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, पंत भवन, बेली रोड, पटना–800001

Tel.; +91(0612)2522032, Fax.; +91(612) 2532311

Visit us: www.bsdma.org; e-mail: info@bsdma.org


बिहार सरकार

**आपदा नही हो भारी यदि पूरी हो तैयारी !!**